

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2015/वैशाख 16, 1937

No. 119]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2015 /VAISAKHA 16, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2015

सं. 11/2015-2020

विषय : आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैंडर्स लकड़ी के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात संबंधी दिनांक 3.12.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 42 (आरई-2013)/2009-2014, में संशोधन।

फा. सं. 01/91/180/1380/एम 12/निर्यात सेल.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार दिनांक 03.12.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 42 (आरई-2013)/2009-2014 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. दिनांक 03.12.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 42 (आरई-2013)/2009-2014 के द्वारा दिनांक 03.12.2013 की अधिसूचना सं. 54 के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैंडर्स लकड़ी के 1998.5917 मीट्रिक टन मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया अधिसूचित की गई थी, परन्तु ऐसे निर्यात के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

3. अब दिनांक 03.12.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 42 (आरई-2013)/2009-2014 के तहत अनुमत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैंडर्स लकड़ी के 1998.5917 मीट्रिक टन मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात हेतु दिनांक 30.04.2016 तक का समय निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

4. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

दिनांक 03.12.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 42 (आरई-2013)/2009-2014 के द्वारा अनुमत आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैंडर्स लकड़ी के 1998.5917 मीट्रिक टन मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए दिनांक 30.04.2016 तक का समय निर्धारित किया गया है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 6 May, 2015

No. 11/2015-2020**Sub: Amendment in Public Notice No. 42 (RE-2013)/2009-2014 dated 03.12.2013 relating to export of Value Added products of Red Sanders wood by Government of Andhra Pradesh.**

F. No. 01/91/180/1380/AM 12/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Public Notice No. 42 (RE-2013)/2009-2014 dated 03.12.2013:

2. In terms of Notification No. 54 dated 03.12.2013, vide Public Notice No. 42 (RE-2013)/2009-2014 dated 03.12.2013, procedure for export of 1998.5917 MTs of Value Added products of Red Sanders wood by Government of Andhra Pradesh had been notified, but no time limit had been prescribed for such export.

3. Now, it has been decided to prescribe time upto 30.04.2016 for export of 1998.5917 MTs of Value Added products of Red Sanders wood by Government of Andhra Pradesh, permitted vide Public Notice No. 42 (RE-2013)/2009-2014 dated 03.12.2013.

4. Effect of this Public Notice:

Time upto 30.04.2016 has been prescribed for export of 1998.5917 MTs value added products of Red Sanderswood by Government of Andhra Pradesh, permitted vide Public Notice No. 42 (RE-2013)/2009-2014 dated 03.12.2013.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade